कार्यालय
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुड़गांव
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुड़गांव, दूरभाष/फैक्स - 0124-2320981

कमांकः - 4159 दिनांकः - 16/12/2014

सेवामेः - वन मण्डल अधिकारी,
रेवाड़ी।

विषयः - वन मण्डल एंव जिला रेवाड़ी हरियाणा में एच0एस0आई0डी0सी0 बावल में दांये व बांये साईड में गांव बावल में 3.871 है0 वन भूमि का उपयोग।

संदर्भ आपका पत्र कमांक 1642 दिनांक 12.12.2014

--

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि संदर्भांकित पत्र द्वारा भेजे गऐ केस का निरीक्षण निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.12.2014 को वन मण्डल अधिकारी, रेवाड़ी, वन राजिक अधिकारी बावल एंव यूजर एजेन्सी के जूनियर इंजिनियर के साथ मौके पर किया गया। उक्त प्रस्ताव में 3.871 है0 सुरक्षित वन भूमि प्रयोग में लाई जायेगी। उक्त प्रस्ताव में 343 वृक्ष एंव 2576 पौधे प्रभावित होगें। आप द्वारा उक्त प्रस्ताव भेजते समय बदले की भूमि देने बारे कोई टिप्पणी अंकित नही की गई। उक्त प्रस्तावित वन भूमि Construction of Kundli-Manesar-Palwal Express Highway के निर्माण में एच0एस0आई0आई0डी0सी0 द्वारा प्रभावित वन भूमि के बदले में 64 एकड़ 5 कनाल 2 मरला प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतू दी गई थी। हरियाणा सरकार वन विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.111/के.अ. 16/1927/धा.29/2013 दिनांक 13 दिसम्बर 2013 द्वारा सुरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। उक्त भूमि पर कैम्पा स्कीम एंव अन्य श्रोतों से पौधारोपण किया गया है।

इस स्थिति में उक्त वन भूमि (प्रतिपूर्ति पौधारोपण भूमि) को नॉन फोरेस्ट्री प्रपज के लिए इस्तेमाल नही किया जा सकता है। अतः यूजर एजेन्सी को अन्य विकल्प तलासने के लिए सूचित किया जाये। अगर अति आवश्यक परिस्थितियों में अन्य विकल्प ना होने की सूरत में इस वन भूमि (प्रतिपूर्ति पौधारोपण भूमि) को इस्तेमाल किया जाना है तो यूजर एजेन्सी से बदले की भूमि देने बारे कार्यवाही करने हेतु लिखा जाये।

16/12
वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल,
गुडगांव । 16/12/14

पृ0कमांक 4160 दिनांक 16/12/2014

एक प्रति नॉडल आफिसर एंव वन संरक्षक, एफ0सी0 कार्यालय प्र0मु0व0सं0 हरि0 पंचकूला को ई-मेल दिनांक 11.12.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

16/12
वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल,
गुडगांव ।

FCA letter/407

16/12/14